निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 58/2024
दायरा दिनांकः–09.10.2024
निर्णय दिनांकः– 16.6.25

उनवान

1. फुल कॅवर आयु 52 वर्ष पुत्री तेजसिंह पत्नि चांदसिंह जाति राजपुत निवासी ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल निवासी कोटा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 16.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 18 की खसरा संख्या 16/2 की रकबा 1.2645 हैक्टयर भूमि वाके माल खालकपुरा तहसील छबड़ा जिला बारां (राज०) में स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 स्थित है इसी प्रकार खाता संख्या 19 की खसरा संख्या 11 की रकबा 0.9610 हैक्टयर एंव भूमि खसरा संख्या 85 की रकबा 3.6797 हैक्टयर कुल किता 2 की रकबा 4.0647 हैक्टयर भूमि वाके माल खेरखेडाभूरा तहसील छबड़ा में स्थित है जिसमे प्रार्थीया का हिस्सा 1/30 स्थित है जो दर्ज जमाबंदी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबंदीया प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र की मद संख्या में वर्णित भूमि पर गत् कई वर्षो काबिज रहकर शांति पूर्वक काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थीया के पिता तेजसिंह का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियो के सहवन से प्रार्थीया का नाम इन्तकाल में फूल कवर के स्थान पर खाता संख्या 18 मे फूलाबाई व खाता संख्या 19 की इन्तकाल मे घर मे बोलता नाम दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम फूल कवर है जिसे दुरूस्तीकरण किया जाकर दोनो खाता सख्या 18 व 19 में फूलाबाई व फूलबाई के स्थान पर फूल कवर किया जाना आवश्यक है। जो अत्यंत न्यायोचित व आवश्यक है। प्रार्थीया के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड सभी मे प्रार्थीया का नाम फूल कवर दर्ज है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र की मद सख्या 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड मे गलत नाम

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बाई व फूलबाई दर्ज होने से उसे केन्द्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ के भ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र की मद ख्या 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर, ट्यूबवैल लगाकर तारफैन्सिग कर भूमि समतल करवाकर प्रगति शील काश्त करना चाहती है परन्तु जो प्रार्थीया के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरस्तीकरण किये बिना संभव नहीं है। प्रार्थीया दिनांक 05/10/2024 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिये हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गयी तो उसे हल्का पटवारी से राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई।

प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 19 नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 18 नकल फोटो कापी आधार कार्ड फुलकॅवर पेश की गई।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि प्रार्थीया के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 16/2 रकबा 1.2645 है0 भूमि ग्राम खालकपुरा मे स्थित है जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/6 स्थित है इसी प्रकार ग्राम खेरखेडाभूरा के खसरा नम्बर 11 रकबा 0.9610 है0 खसरा नम्बर 85 रकबा 3.6797 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थीया का 1/30 हिस्सा स्थित है। जिस पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थीया के पिता तेजसिंह का फोती नामान्तरण खोलतें समय सहवन से प्रार्थीया का नाम इन्तकाल में फुलकंवर के स्थान पर खाता संख्या 18 में फुला बाई व खाता संख्या 19 के इन्तकाल में घर में बोलता नाम फुलबाई दर्ज कर दिया है जबकि प्रार्थीया का वास्तविक नाम फुलंकवर है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में फलाबाई व फुलबाई के स्थान पर प्रार्थीया का नाम फुलकंवर दर्ज किया जावें। प्रार्थीया के अन्य सभी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम फुलकंवर दर्ज है राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया का गलत नाम दर्ज होने के कारण राज्स सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड रहा है प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में फुलबाई व फुला बाई के स्थान पर फुलकंवर दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड ग्राम खेरखेडानाथुराम की जमाबन्दी सम्वत् 2079 की खाता संख्या 18 के खसरा नम्बर 16/2 रकबा 1.2645 है0 में फुलाबाई पुत्री तेजसिंह हिस्सा 1/6 जाति राजपुत शेष खाता बदस्तुर खाता संख्या 19 के खसरा 11,85 दो किता रकबा 4.6407 है0 में फुलाबाइ पुत्री तेजसिंह हिस्सा 1/30 जाति राजपुत शेष खाता बदस्तुर दर्ज है फुलाबाई व फुलबाई पुत्री तेजसिंह जाति राजपूत के सही नाम की जॉच मौके पर उपस्थित ग्राम वासियान से की गई। ग्राम वासियान ने बताया कि फुलाबाई व फुलबाई पुत्री तेजसिंह का सही नाम फुलकंवर पुत्री तेजसिंह है ग्राम वासियान ने बताया कि फुलकंवर को फुलाबाई व फुलबाई के नाम से ही जाना जाता है फुलाबाई फुलबाई व फुलकंवर उक्त तीनों नाम एक ही महिला के है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेरखेडानाथुराम सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 19 में प्रार्थीया का नाम फूलबाई दर्ज है इसी प्रकार खाता संख्या 18 में प्रार्थीया का नाम फूला बाई दर्ज है प्रार्थीया के आधार कार्ड में फूलंकवर दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया के अन्य दस्तावेजात में फूलकंवर एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में फूलाबाई व फूलबाई दर्ज है प्रार्थीया अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में फूलबाई व फूलाबाई के स्थान पर फूलकंवर दर्ज करवाना चाहती है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया को फूलबाई, फूलाबाई एवं फूलकंवर तीनों नामों से जाना जाता है तथा गांव में इन तीनों नामों से पुकारा जाता है। तहसीलदार छबडा रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खेरखेडानाथुराम तहसील छबडा के खसरा नम्बर 11 रकबा 0.9610 है0 खसरा नम्बर 85 रकबा 3.6797 है0 खसरा नम्बर 16/2 रकबा 1.2645 है0 में दर्ज फूलबाई एवं फूलाबाई के स्थान पर प्रार्थी का नाम फूलकंवर दर्ज करने के आदेंश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा